भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3187

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएमसी का निर्देश

3187. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को यह निदेश जारी किया है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों को कार्य संतुलन बनाए रखने और अध्ययन के लिए साप्ताहिक अवकाश, 20 आकस्मिक अवकाश मिलना चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनएमसी द्वारा जारी अधिसूचना में यह परिभाषित किया गया है कि रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए 'कार्य के घंटे' क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी मेडिकल कॉलेज एनएमसी के उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): एनएमसी अधिनियम 2019 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशे और चिकित्सा संस्थानों के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है। एनएमसी नीतियों और विनियमों को तैयार करता है, और अनुपालन के लिए समय-समय पर स्पष्टीकरण/निर्देश जारी करता है। एनएमसी द्वारा जारी किए गए विनियमों के अनुसार, सभी पीजी छात्र उचित कार्य घंटों और प्रत्येक दिन पर्याप्त आराम के समय के साथ पूर्णकालिक रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में काम करेंगे। स्नातकोत्तर (पीजी) छात्र भी प्रति वर्ष 20 दिनों की आकस्मिक छुट्टी और 5 दिनों की शैक्षणिक सवेतन छुट्टी के साथ-साथ प्रति सप्ताह एक दिन की छुट्टी के हकदार हैं।

*****